न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–138/2016/भीलवाड़ा (2016/00048)

1. श्रीमती नेनी पत्नि दयाराम, जाति गुर्जर, निवासी हदवों का बाड़िया, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. मु0 रंगू पुत्री दयाराम, जाति गुर्जर, निवासी हदवों का बाड़िया, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल निवासी जैतगढ़, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती छोटी पुत्री दयाराम पत्नि बक्शु, जाति गुर्जर, नि0 हदवों का बाड़िया, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल नि0 बुनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रूपी पत्नि औंकार, जाति गुर्जर, नि0 सुखामण्ड (जाली), तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती तुलसी पुत्री औंकार, जाति गुर्जर, नि0 सुखामण्ड (जाली), तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
3. ग्राम पंचायत केडीमाल, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 24.11.2016 प्रकरण संख्या 9/2014.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री वी0एस0भाटी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः–11.01.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीडिमाल, तहसील मांडल हाल तहसील करेड़ा में खाता संख्या 116 में आराजी नंबर 1420, 1421, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 किता 8 कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 117 में आराजी नंबर 1439 रकबा 2 बिस्वा गे0मु0 चाह स्थित है । उक्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण एवं अपीलांट संख्या 1 के पिता/पति महाराम पिता दोला गूजर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । प्रार्थीगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता/पति महाराम पिता दोला गूजर के निधन के पश्चात् पटवारी हल्का ने उक्त आराजियात का विरासत का इंतकाल संख्या 27/145 दिनांक 22.2.1963 को अकेले रेस्पो0 संख्या 1/वर्तमान अपीलांट के नाम खोल दिया तथा उसमें बबिलायत माता रूपीदेवी अंकित कर दिया । उक्त नामांतकरण को ग्राम पंचायत कीडिमाल के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया, जिस पर अधी0न्याया0 ने महाराम पिता दोला के विधिक वारिसान की बिना किसी जांच पड़ताल किये ही विधिक तथ्यों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत नामांतकरण को तस्दीक कर दिया । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 /वर्तमान अपीलांट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके बबिलायत माता के रूप में दर्ज अपीलांट संख्या 1/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 का नाम इंतकाल संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 के जरिये डिलीट करवा दिया । अतः अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 का नामांतकरण आदेश निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने अपीलांट/वर्तमान रेस्पो0 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित इंतकाल संख्या 27/145 दिनांक 22.2.1963 एवं नामांतकरण संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 को निरस्त कर विवादित भूमि अपीलांट संख्या 1/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 एवं दयाराम के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 3/वर्तमान अपीलांटस के नाम प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के

उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार अपीलांट्स का ससुर एवं दादा महाराम था जिसका स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत ने विधिवत् जांच कर अपीलांट एवं उसकी माता के नाम नामांतकरण स्वीकार किया एवं तत्पश्चात् अपीलांट के बालिग होने पर उसकी माता का नाम डिलिट करते हुए संपूर्ण भूमि का अपीलांट्स के नाम नामांतकरण स्वीकार किया गया था जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी बल्कि लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार नामांतकरण स्वीकार किया गया था एवं तब से मौके पर अपीलांट्स ही विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर सरसरी तौर पर रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रूपीदेवी महाराम के जीवनकाल में ग्राम सुखामण्ड (जाली) तहसील आसीन्द में ऊंकार पुत्र लालू के यहां नाते चली गई एवं ऊंकार से नाता कर लेने के कारण महाराम की भूमि में उसका कोई अधिकार स्वत्व एवं हित निहित नहीं रह गया था । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष रूपी के नाते के संबंध में श्रवणसिंह, रायमल, हीरालाल, मोतीसिंह, रूपसिंह, जग्गू, नानू एवं प्रताप के शपथ पत्र तथा मतदाता सूची सहित जिसमें रूपी पत्नि ऊंकार एवं ऊंकार पुत्र लालू का नाम दर्ज है, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को महाराम की विरासत में अधिकारी होना मानने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब के भी कोई समुचित कारण अंकित नहीं किये थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की अपील अंदर मानने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों तथा कानूनी नजीरों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को विधिवत् नोटिस दिये बिना एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नामांतकरण को सरसरी तौर पर निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 24.11.2016 को अपास्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत कीडिमाल द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 27/145 दिनांक 22.2.1963 एवं नामांतकरण संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत 2006 (2) आर0आर0टी0 पृष्ठ संख्या 1085 (राज0उच्च न्याया0) प्रस्तुत किया । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार महाराम की पत्नि है तथा रेस्पो0 संख्या 2

रेस्पो0 संख्या 1 की पुत्री होकर पति/एवं पिता की विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का भी हक व हिस्सा निहित है । रेस्पो0 का विवादित आराजियात में जन्म से हक अधिकार है किन्तु पटवारी हल्का ने बिना विधिक वारिसान की जांच किये नामांतकरण खोल दिया जिसमें रेस्पो0 का नाम अंकित नहीं किया जबकि रेस्पो0 स्व0 महाराम की पत्नि एवं पुत्री होकर विधिक वारिसान है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपील आंशिक स्वीकार की है जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांट्स का तर्क है कि रेस्पो0 संख्या 1 रूपी, ऊंकार जाति गुर्जर, निवासी कलकीपुरा से नाता विवाह कर लिया था तथा रेस्पो0 संख्या तुलसी का जन्म भी नाते जाने के बाद होने से रेस्पो0 का विवादित महाराम की विवादित आराजियात में कोई हक व हिस्सा नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाराम व देवा के निधन के बाद महारामा के पुत्र दयाराम के नाम विरासत नामांतकरण नामांतकरण संख्या 27/145 दिनांक 22.2.1963 को दयारामा पिता महाराम नाबालिग माता रूपी के नाम साकिन देह के रूप में दर्ज किया गया । तत्पश्चात् दयाराम के बालिग होने पर नामांतकरण संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 के नाबालिग से बालिग होने का अंकन किया गया है । नामांतकरण संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण के द्वारा रूपी का नाम दयाराम के बालिग होने तथा रूपी के अन्यंत्र नाते चले जाने के कारण हटाया गया है । स्वंय दयाराम ने स्वीकार किया था कि रेस्पो0 संख्या 1 रूपी महाराम की पत्नि थी । नामांतकरण संख्या 27/145 दिनाक 22.2.1963 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 रूपी महाराम की पत्नि होने से दयाराम के नाबालिग होने की स्थिति में दयाराम बविलायत माता श्रीमती रूपी के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया गया है, यदि रूपी महाराम के जीवलकाल में ही नाते चली जाती तो रेस्पो0 संख्या 1 रूपी का नाम बविलायत माता दर्ज नहीं किया जाता । दयाराम के बालिग होने पर ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 545 दिनांक 25.7.1996 को नामांतकरण पारित करते समय महाराम के विधिक वारिसान जांच किये बिना अकेले दयाराम के नाम तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत किया है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 रूपी भी महाराम की पत्नि होने से महाराम की विधिक वारिसान थी जिससे उसका भी मृतक महाराम की आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत रेस्पो0 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा

अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 24.11.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 138/2016 (2016/00048) बउनवानी श्रीमती नैनी बनाम श्रीमती रूपी को अपास्त किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 09/2014 बउनवान श्रीमती रूपी बनाम दयाराम जरिये वारिसान में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर